न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी: अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–26 / 2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. शंकर पुत्र मोड़ा, जाति माली, निवासी समोड़ी, तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

1. भैरू पुत्र मांगी लाल, जाति माली, निवासी समोडी, तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
2. लालु पिता केला जाति माली, निवासी समोड़ी, तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
3. गोपाल पिता केला जाति माली, निवासी समोडी, तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
4. शान्ति पत्नि केला जाति माली, निवासी समोडी, तहसील व जिला भीलवाडा राजस्थान
5. रूप लाल पुत्र मोडा जाति माली, निवासी समोडी, तहसील व जिला भीलवाड़ा राजस्थान
6. शोभा लाल पुत्र मोडा जाति माली, निवासी समोड़ी, तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा राजस्थान
8. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा राजस्थान

– विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादपत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण–

1. श्री शिव सिंह चारण :– प्रार्थी

निर्णय दिनांक:–02/11/2026

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र सादर पेश कर निवेदन है कि उक्त उनवान का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थीगण ने श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया है जो कि काफी ठोस एवं मजबुत आधारो पर आधारित होकर अवश्य ही प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री होगा परन्तु प्रस्तुत वादपत्र की सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगने की सम्भावना है अतएवं यह प्रार्थनापत्र सादर पेश है।

प्रार्थी का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है कि :–

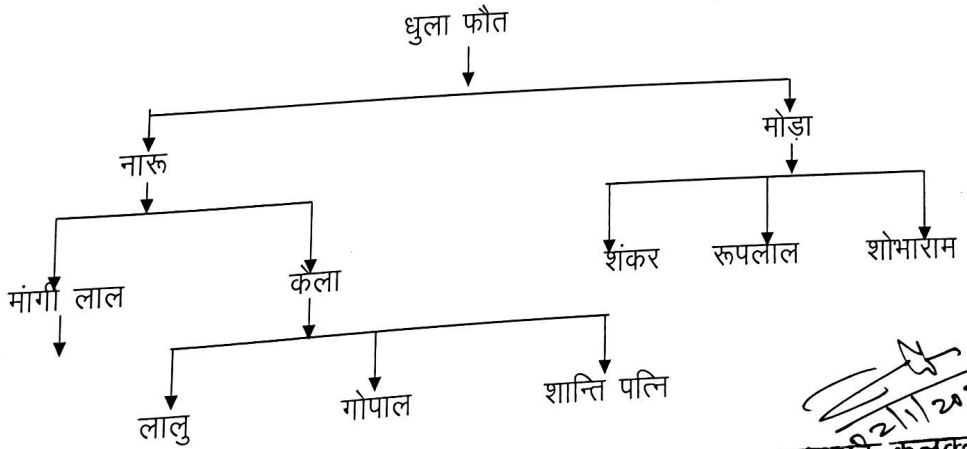

2/11/2026
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त वर्णित सजरानुसार स्व.श्री धुला जी प्रार्थी के परिवार के मुख्य पुरुष थे, जिनका देहान्त हो चुका है तथा स्व. श्री धुला जी के दो पुत्र नारू व मोड़ा का जन्म हुआ। नारू के पुत्र कैला का निधन हो गया है तथा भैरू, लालु, गोपाल केला के पुत्र एवं शान्ति देवी केला की पत्नि तथा शंकर, रूपा एवं शोभाराम मोड़ा के पुत्र है।

ग्राम समोडी पटवार हल्का दरीबा, तहसील पांसल, जिला भीलवाड़ा राजस्थान में प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 06 की पुश्तैनी कृषि भूमि सम्वत 2025 से 2028 में साबिक आराजी संख्या 398 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवस्थित है। जो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 06 की पुश्तैनी भूमि है जो तत्समय नारू पिता धुला माली के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित थी। इसके बाद सैटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजी संख्या 398 के हाल आराजी नम्बर 793 रकबा 0.15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 797 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा बने।

उक्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमे प्रार्थी के पूर्वज नारू जी एवं मोड़ा के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा हो रखा है, उक्त बंटवारे के अनुसार आराजी संख्या 793 विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 के पूर्वज नारू जी के हिस्से मे रखा और आराजी संख्या 797 प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 05 लगायत 06 के पूर्वज मोड़ा जी के हिस्से में रही और उक्त मौखिक बंटवारे के अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण मौके पर काबिज होकर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और आराजी संख्या 797 पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 05 लगायत 06 काबीज हो चले आ रहे है। नारू एवं मांगी लाल व केला की मृत्यु के बाद भी इनके वारिसान विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 के नाम पर उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज हो गया ।

विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा भी हमें बार बार यही कहा जाता रहा है कि उक्त भूमि तुम्हारे हिस्से की है, जिसे हम तुम्हारे नाम करवा देगें और ऐसा कहकर मुझ द्वारा भी यही कहा गया कि तुम्हारे हक हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री तुम्हारे करवा देगें।

इसके बाद विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रार्थी को यह कहते हुए कि हम तुम्हारे हक हिस्से की जमीन तुम्हारे नाम करवा रहे है, ऐसा कहकर रजिस्ट्री खर्चे के लिए 10,000/–रूपये ले लिये और इसके बाद विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 की नियत मे बदनीयती आ जाने से विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 ने यह जानते कि उक्त आराजी संख्या 797 प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 05 लगायत 06 के हिस्से की होकर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 05 लगायत 06 ही इस पर काबिज होकर उपयोग उपभोगरत है, बावजूद इसके विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 ने प्रार्थी की उक्त भूमि को हड़प करने एवं प्रार्थी को धोख मे रखकर उक्त आराजी संख्या 797 मे से आराजी नम्बर 1260/797 विपक्षी संख्या 01 एवं आराजी संख्या 1259/797 विपक्षीगण संख्या 02 लगायत 04 के नाम इन्द्राज करा लिया।

विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की नियत मे फितुर पैदा हो गया है एवं उक्त आराजियात का बिना इन्द्राज दुरस्त हुए ही वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को विक्रय, हस्तान्तरण / खुर्द बुर्द करना चाहते है। इसी गरज से आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त में भी बाधा पैदा करते है। विपक्षीगण ने दिनांक 21.05.2022 को प्रार्थी को उक्त वर्णित विवादित आराजीयात से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया और धमकाया कि वो उक्त आराजीयात को अन्य को रहन विक्रय हस्तान्तरण / खुर्द बुर्द प्रार्थीगण को बेदखल कर देगें। इस कारण से यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत आयी है।

अतएवं वादपत्र/प्रार्थनापत्र मे वर्णितानुसार आराजी संख्या 797 नवीन आराजी नम्बर 1259/797 एवं 1260/797 के राजस्व रेकार्ड मे विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 नाम को हटाया जाकर मोडा के वारिसान प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 05 लगायत 06 के नाम पर उपरोक्त सजरानुसार नाम दर्ज करते हुए इन्द्राज दूरस्त फरमाया जाकर इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर पारित फरमाया जाना आवश्यक है।

02/1/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

यदि विपक्षीगण बिना इन्द्राज दुरस्त किये बगैर ही आराजियात को उनके नाम पर दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर किसी अन्य को रहन विक्रय, हस्तान्तरण कर दिया और प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षीगण प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण खुर्द बुर्द करे तथा प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से का शान्तिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वंय पैदा करे व न हीं किसी अन्य से करावें। विपक्षीगण के विरूद्ध विनाय वाद दिनांक 21.05.2022 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा चला आ रहा है। अगर विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात को विक्रय हस्तान्तरित एवं खुर्द बुर्द कर देते है एवं प्रार्थी को बेदखल कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष मे विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा फरमायी जावे कि ताफैसला वाद प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि आराजियात को विपक्षीगण किसी अन्य को विक्रय हस्तान्तरित एवं खुर्द बुर्द नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे, प्रार्थी के कब्जे, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वंय उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें एवं मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला :–
2. सुविधा का संतुलन :–
3. अपूरणीय क्षतिः–

पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु उपरोक्त तीनों बिन्दुओं का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम समोड़ी की वादग्रस्त आराजी संख्या 797 रकबा 12 बिस्वा प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का 1/2 हक हिस्सा था। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के मध्य मौखिक बंटवारा हो रखा था जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी संख्या 797 रकबा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज रहनी थी, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वजों के नाम दर्ज होने से उनके द्वारा दुरभी संधि करते हुए वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 797 रकबा 12 बिस्वा का सहमति पूर्वक विभाजन करते हुए नवीन आराजी संख्या 1260/797 व 1259/797 दर्ज करवा लिया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 5 व 6 को उनके हक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखे जाने हेतु पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

02/11/2024
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 5 व 6 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब के साथ प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के मध्य निष्पादित बंटवारानामा से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। साथ ही ग्राम समोड़ी की वादग्रस्त आराजी संख्या 797 साबिक आराजी नम्बर 527 से निर्मित है। जिसकी साबिक जमाबन्दी मेवाड़ बन्दोबस्त सम्वत् 1985 के अनुसार वादग्रस्त भूमि नारू वल्द धुला माली के नाम दर्ज थी। जिसके वारिसान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 है। जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि दर्ज है। अतः प्रार्थी वादग्रस्त भूमि स्वयं तथा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के पूर्वजों के नाम दर्ज हुए एवं उनके 1/2 हक हिस्से होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य सबूत पेश करने में असमर्थ रहे है। जिससे प्रार्थी अपने पक्ष में प्रार्थना पत्र के बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में प्रथम दृष्टया असफल रहा है। अतएवं

—: आदेश :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

02/1/2026

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा